



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255382  
CG-DL-E-12072024-255382

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946

No. 2584]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

का.आ. 2720(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए "आमोद – हाजीरा पाइपलाइन परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस परियोजना के तहत, तालुका: भरूच तथा अंकलेश्वर जिला: भरूच, राज्य गुजरात में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री भरत जे. अकूवाला, अपर समाहर्ता (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पी.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा (गुजरात) - 391320, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तालुका - भरुच		जिला - भरुच		राज्य - गुजरात	
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	भाडभूत	68	00	29	35
		63	00	24	34
		64	00	01	15
		20	00	30	35
		9	00	01	66

अनुसूची					
तालुका -अंकलेश्वर		जिला - भरुच		राज्य - गुजरात	
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	धंतुरिया	400	00	00	88
		386	00	03	58
		391	00	06	97
		330	00	06	88

[फा. सं. आर-11017/3/2024-ओआर-1/ई-49650]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

**S.O. 2720(E).**— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Petroleum Product Pipeline for transportation of Petroleum Product under “Amod-Hazira Pipeline Project” by Indian Oil Corporation Limited in Taluka **Bharuch and Ankleshwar** of **Bharuch** District in State of Gujarat.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Bharat J. Akruwala, Additional Collector (Retd.) Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Western Region Pipelines Project, 3/122, Gujarat Refinery Township, PO. Jawaharnagar, Vadodara (Gujarat) – 391320.

SCHEDULE					
Taluka:- Bharuch		District:- Bharuch		State :- Gujarat	
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Area	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Bhadbhut	68	00	29	35
		63	00	24	34
		64	00	01	15
		20	00	30	35
		9	00	01	66

SCHEDULE					
Taluka:- Ankleshwar		District:- Bharuch		State :- Gujarat	
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Area	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Dhanturiya	400	00	00	88
		386	00	03	58
		391	00	06	97
		330	00	06	88

[F. No. R-11017/3/2024-OR-I/E-49650]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.